



## POLICE COMMISSIONERATE

### GAUTAM BUDH NAGAR

### सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.01.2026

#### 1. थाना इकोटेक-3 पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ के सम्बन्ध में-

**विवरण--** दिनांक 17.01.2026 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध प्रतीत हो रही एक अटिंगा कार को रुकने का इशारा किया गया, परन्तु कार सवार व्यक्ति नहीं रुके और कार को तेज गति से चलाते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर कार सवार बदमाश आगे रास्ता बंद होने के कारण गाड़ी से उतकर भागते पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में 02 अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए जिनकी पहचान 1.जियाउल्लाह उर्फ हैंदर पुत्र अनीसुर्हमान निवासी ग्राम छोटा चन्दमोहन, थाना कुंडवाचैदपुर, जिला मोतिहारी, बिहार वर्तमान पता ग्राम नंगला चरणदास, निवासी थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष 2.अमन गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार निवासी मोहल्ला बालकिशन अलीगंज, थाना अलीगंज, जिला एटा वर्तमान पता शालीमार गार्डन, थाना शालीमार गार्डन, जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष के रूप में हुयी है। अभियुक्तों का एक साथी 3.नसीम अली उर्फ रियाज पुत्र शाबीर अली निवासी ग्राम अर्जुनी सिमरई, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा वर्तमान पता ग्राम हल्दोनी, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक गाड़ी अटिंगा टैक्सी रजि नंबर UP84AT5595 व 03 अवैध तमचे मय 03 जिंदा कारतूस व 03 खोखा कारतूस .315 बोर, नगद रूपये व अन्य सामान बरामद हुआ है। घायल दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग आतेजाते व्यक्तियों/सवारियों को गाड़ी में बैठाकर उनके साथ पैसे और मोबाइल की लूट करते हैं। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

#### अभियुक्तों का विवरण--

- जियाउल्लाह उर्फ हैंदर पुत्र अनीसुर्हमान निवासी ग्राम छोटा चन्दमोहन, थाना कुंडवाचैदपुर, जिला मोतिहारी, बिहार वर्तमान पता ग्राम नंगला चरणदास, निवासी थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 27 वर्ष (घायल)
- अमन गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार निवासी मोहल्ला बालकिशन अलीगंज, थाना अलीगंज, जिला एटा वर्तमान पता शालीमार गार्डन, थाना शालीमार गार्डन, जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष (घायल)
- नसीम अली उर्फ रियाज पुत्र शाबीर अली निवासी ग्राम अर्जुनी सिमरई, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा वर्तमान पता ग्राम हल्दोनी, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष

#### बरामदगी का विवरण--

- एक गाड़ी अटिंगा टैक्सी नंबर UP 84 AT 5595

2. 03 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस
3. 01 मोबाइल
4. 01 एटीएम कार्ड
5. 01 पैन कार्ड
6. लूट के 6500 रुपए

**2. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से स्नैचिंग हुए 20 मोबाइल फोन, 2000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 17.01.2026 को थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.अर्जुन पुत्र स्व0 संजय कुमार 2.रोबिन त्यागी पुत्र हरिद्वारी को मल्टीलेवल पार्किंग के पीछे से गिरफ्तार किया गया है तथा एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से स्नैचिंग किये हुए 20 मोबाइल फोन, 2000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल व अभियुक्त अर्जुन के कब्जे से एक अवैध तमन्चा बरामद हुआ है।

अभियुक्तगण व बाल अपचारी नोएडा व आस-पास के क्षेत्रों से मोबाइल फोन स्नैचिंग व चोरी करते हैं। स्नैचिंग व चोरी किये गये मोबाइल फोन को यह लोग राह चलते कबाड़ियों को बेच देते हैं।

### **अभियुक्तों का विवरण--**

1. अर्जुन पुत्र स्व0 संजय कुमार निवासी ग्राम व थाना खैर, जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता खजूर कॉलोनी, सदरपुर, सेक्टर-45, थाना सेक्टर-39, नोएडा उम्र 22 वर्ष।
2. रोबिन त्यागी पुत्र हरिद्वारी निवासी ग्राम सुल्तानपुर, सेक्टर-128, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर उम्र 28 वर्ष।

### **आपराधिक इतिहास का विवरण--**

1. मु0अ0सं0- 30/2026 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39, नोएडा।
2. मु0अ0सं0- 569/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39, नोएडा।
3. मु0अ0सं0- 16/2026 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, नोएडा।

### **बरामदगी का विवरण--**

- 1- 20 मोबाइल फोन
- 2- 2000 रुपये नगद (जिसमें 1100 रुपये मु0अ0सं0 569/25 थाना सेक्टर-39 नोएडा से सम्बन्धित व 900 रुपये मु0अ0सं0 16/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24 की घटना से सम्बन्धित)
- 3- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर (अभियुक्त अर्जुन के कब्जे से)